न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 32 / 2018

अनवान : –

1. रोनकसिंह पुत्र मुन्शीसिंह जाति सिख छिम्पा साकिन मालारामपुरा हाल वार्ड न.10 संगरिया तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)
2. सुखदेवसिंह पुत्र मुन्शीसिंह (फोत) नाम कलमजन
   2 / 1–गुरदेवकौर पत्नी सुखदेवसिंह
   2 / 2–परमजीतकौर पुत्री सुखदेवसिंह
   2 / 3–रविन्द्रकौर पुत्री सुखदेवसिंह
   2 / 4–जसपालसिंह पुत्र सुखदेवसिंह जाति सिख छिम्पा साकिन मालारामपुरा हाल वार्ड न. 10 संगरिया तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)
   2 / 5–अमरजीतकौर पुत्री सुखदेवसिंह पत्नी बलविन्द्रसिंह (फोत)
   2 / 5 / 1–गुरप्यारसिंह पुत्र बलविन्द्रसिंह
   2 / 5 / 2–हैपीसिंह पुत्र बलविन्द्रसिंह
   2 / 5 / 3–साहिबसिंह पुत्र बलविन्द्रसिंह जाति सिख छिम्पा साकिन रायकला तहसील लम्बी जिला मुक्तसर, (पंजाब)
3. बलदेवसिंह पुत्र मुन्शीसिंह जाति सिख छिम्पा साकिन मालारामपुरा हाल वार्ड न. 10 संगरिया तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)

– सायलान

बनाम्

1. रानी पुत्री मुन्शीसिंह जाति सिख छिम्पा साकिन मालारामपुरा हाल वार्ड न. 10 संगरिया तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)
2. जसविन्द्रसिंह उर्फ भोलासिंह पुत्र मक्खनसिंह जाति सिख छिम्पा साकिन मालारामपुरा हाल वार्ड न. 10 संगरिया तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)
3. सिमरनसिंह पुत्र मक्खनसिंह जाति सिख छिम्पा साकिन मालारामपुरा हाल वार्ड 10 संगरिया तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)
4. भागीरथ पुत्र किशनाराम जाति जाट साकिन सोनड़ी तहसील नोहर
5. यासीनखां पुत्र हासमखां जाति मुसलमान साकिन सोनडी तहसील नोहर
6. लालखां पुत्र हासमखां जाति मुसलमान साकिन सोनडी तहसील नोहर
7. बलीमोहम्मद पुत्र हासमखां जाति मुसलमान साकिन सोनड़ी तहसील नोहर
8. निजाम पुत्र हासमखां जाति मुसलमान साकिन सोनड़ी तहसील नोहर
9. बलवानसिंह पुत्र जेवूराम जाति खाती साकिन किराड़ा बड़ा तहसील भादरा।
10. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ़ (राज.)
11. उप पंजियक नोहर तहसील नोहर।

– गैरसायालान

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट.

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.09.12 15:47:35 IST
Reason: SelfAttested

[illegible] द्वारा अधिवक्ता सायल

[illegible] भरतसिंह बेनीवाल [illegible] गैरसायल

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

निर्णय

दिनांकः 12/09/25

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रौही मोजा सोनड़ी तहसील नोहर के खाता स० 418/402 के ख0न0 180/2 की 7.3730 हैक्ट भूमि स्थित है। वादग्रस्त भूमि सायलान व गैरसालयान की मुश्तरका खाता की भूमि है। रोही मौजा सोनडी तहसील नोहर के खाता स0 418/402 के ख0न0 180/2 की 7.3730 हैक्ट भमि सायलान व गैरसालय स० 1 ब.हि.ब. 20-4/5 हिस्सा व गैरसालय स० 2 व 3 ब०हि०ब० 05-1/5 हिस्सा, व गैरसालय स० 4 अकेला 203 हिस्सा व गैरसालय स० 5 ता 8 ब.हि.ब. 283-1/5 हिस्सा व गैरसालय स० 9 अकेला 70-4/5 हिस्सा के मुश्तरका खातेदार काश्तकार है।

सायलान व गैरसालयान की सयुक्त खाता की खातेदारी कृषि भूमि है जिसमें सायलान व गैरसालयान के बीच सींव लगान सम्बधित आये दिन झगडे होते रहते है तथा गैरसालयान सायलान की सींव डोल को मिस्मार करते रहते है। उक्त भूमि का खाता व लगान सयुक्त होने के कारण सायलान व गैस्सालयान का आयें दिन झगडा फसाद होते रहते है। सयुक्त खाता की भूमि होने के कारण प्रत्येक का प्रत्येक इंच पर हक व हिस्सा होता है। जब तक खाता विभाजन नही हो जाता है तब तक किसी जुज को रहन / बैय नही किया जा सकता है। इसलिए सायलान वादग्रस्त भूमि में अपने हक व हिस्सानुसार अच्छी में से अच्छी व माडी में से माडी के अनुसार खाता व लगान गैरसालयान से अलग-अलग करवाने की अधिकारी है यही बिनाय दावा है। वाद भूमि का खाता मुश्तरका है तथा गैरसालयान वाद भूमि में से अच्छी किस्म की भूमि को फरोक्त करने पर आमादा है। एवं उपरोक्त बातो का फायदा उठाकर गैरसालयान अच्छी किस्म की भूमि अन्यत्र रहन/बैय करने हेतु ग्राहक तलाशने लगे है। यदि गैरसायलान अपने मकसद में कामयाब हो जाते है तो अपूर्णीय क्षति सायलान हो होगी इसलिए गैरसायलान के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे की जब तक उक्त वाद भूमि का खाता व लगान अलग न हो तब तक मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। रोही मौजा सोनड़ी तहसील नोहर के खाता स0 418/402 के ख0न0 180/2 की 7.3730 हैक्ट भूमि कुल 7.3730 हैक्ट भूमि में अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आशय की जारी की गई की अप्रार्थीगण उक्त वाद भूमि में से विशेष हिस्से का बेचान न करे।

अधिवक्ता वादी व प्रतिवादीगण ने निवेदन किया की मैरिट के आधार पर प्रार्थना पत्र का निस्तारण फरमावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.09.12 15:47:35 IST
Reason: SelfAttested

हमने प्रार्थना पत्र, उपग्राक्ष द्वारा [illegible] [illegible] गहन अध्ययन करने के उपरान्त इस नतीजे पर पहुचे है कि [illegible] खाता विभाजन मूल दावें के निर्णय में तय होना है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 [illegible] धारा 212 के प्रार्थना पत्र के निस्तारण

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

के दौरान केवल यह देखना है कि प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन किसके पक्ष मे है तथा अपूर्णीय क्षति किसको होती है? पत्रावली में प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड के अनुसार रौही मोजा सोनड़ी तहसील नोहर के खाता स० 418/402 के ख0न0 180/2 की 7.3730 हैक्ट भूमि स्थित है। वादग्रस्त भूमि सायलान व गैरसालयान की मुश्तरका खाता की भूमि है। रोही मौजा सोनड़ी तहसील नोहर के खाता स0 418/402 के ख0न0 180/2 की 7.3730 हैक्ट भमि सायलान व गैरसालय स० 1 ब.हि.ब. 20–4/5 हिस्सा व गैरसालय स० 2 व 3 ब०हि०ब० 05–1/5 हिस्सा, व गैरसालय स० 4 अकेला 203 हिस्सा व गैरसालय स० 5 ता 8 ब.हि.ब. 283–1/5 हिस्सा व गैरसालय स० 9 अकेला 70–4/5 हिस्सा के मुश्तरका खातेदार काश्तकार है। मुश्तरका खातेदार काश्तकार अपने हक हिस्सा व किस्म भूमि के अनुसार खाता व लगान राजस्व रिकार्ड में अलग से कायम करवाने का अधिकारी है जो वाद में साक्ष्य सबूतों के आधार पर तय होना है अप्रार्थीगण द्वारा केवल राजस्व रिकार्ड में दर्ज अपने हक व हिस्सा की भूमि को रहन, बैय व मुन्तकिल किया जा रहा है। वाद भूमि संयुक्त खाता में दर्ज है अप्रार्थी सिर्फ अपने हक व हिस्सा की भूमि को रहन व बैय कर रहे है न कि किसी विशेष भू भाग/ख0न0 को रहन व बैय कर रहे है चूंकि प्रार्थी एवं अप्रार्थी संयुक्त खातेदार दर्ज राजस्व रिकार्ड है, अप्रार्थी द्वारा अपने हिस्से को रहन व बैय करने से प्रार्थी को कोई अपूर्णीय क्षति नही होगी क्योंकि अप्रार्थी द्वारा केवल राजस्व रिकार्ड में दर्ज अपने हक व हिस्से को ही रहन, बैय किया जा रहा है न कि प्रार्थी के हिस्से को अतः अप्रार्थी को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायोचित नही है। उक्त विवेचनानुसार प्रथम दृष्टया मामला अप्रार्थी के पक्ष में साबित होता है न की प्रार्थी के पक्ष में। जब प्रथम दृष्टया मामला अप्रार्थी के पक्ष में सिद्ध हो गया है तो सुविधा का संतुलन भी अप्रार्थी के पक्ष में सिद्ध होता है। अगर अस्थाई निषेधाज्ञा ताफैसला कन्फर्म की जाती है तो अपूर्णीय क्षति भी अप्रार्थीग को होगी न की प्रार्थी कों। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति इन तीनों ही तत्वों में से कोई भी तत्व प्रार्थी के पक्ष में साबित नही होते है बल्कि अप्रार्थी के पक्ष में बखूबी साबित है। इसलिए अप्रार्थी को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना किसी भी तरह से न्यायोचित प्रतीत नही होता है तथा प्राकृतिक न्याय एवं साम्य न्याय के सिद्धान्तों के विपरित है।

अतः उपरोक्त विवेचन स्वरूप प्रार्थी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अस्थाई निषेधाज्ञा साबित नही होने से दिनांक 06.04.2018 को जारी की गई अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज की जाती है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 12/09/25 मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Rahul

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.09.12 15:47:35 IST
Reason: SelfAttested